an>

Title: Regarding need to ban PFI

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं व निवेदन है कि हम एक-दूसरे की कमियों को परे रखते हुए, देश की अस्मिता व देशवासियों के लोकतंत्र में अपनी आजादी से जीने के अधिकार के साथ स्वस्थ वातावरण में खुशी से रह सकें तथा अपने राजनीतिक स्वार्थों के हितों को अलग रखते हुए सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से एक मत के साथ समर्थन चाहता हूं । जैसा कि कुछ दिनों से देश विरोधी लोगों के द्वारा हमारे देश को तालिबानी एवं कट्टरपंथी प्रवृत्ति के साथ क्रूर मानसिकता से देश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं । ऐसी भाषा "सर तन से जुदा" व पाकिस्तानी, जिहादी, आतंकवादियों के साथ मिलकर जुर्म को अंजाम दे रहे हैं व देश में ही पीएफआई जैसे संगठन का समर्थन कर उन्हें मदद कर रहे हैं । तथा क्रूर जघन्य जुर्म के सहयोगी बन रहे हैं । उनके आतंकवादियों से तार जुड़ने के कारण हमारे देश की पुलिस व एजेंसियों ने सबूतों सहित पकड़ा है । ऐसे घृणित क्रिमिनल मानसिकता रखने वाले आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को तय समय सीमा के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अधिक से अधिक 3 माह में उनके जुर्म के खिलाफ निर्णय दिया जाना चाहिए । जैसा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग से बलात्कार के बाद हत्या के केस का फैसला 55 दिन में दिया गया था । जिससे हमारे देश के वो नौजवान जो धर्म की आड़ में गुमराह हो रहे है, उन्हें इस प्रकार से घृणित अपराधों में पड़ने से रोका जाए । सरकार द्वारा सदन की भावनाओं के मद्देनजर पीएफआई जैसे संगठनों पर अविलंब पाबंदी लगाई जाए ।